झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सिविल विधिक याचिका संख्या 624/2023

1. जितेंद्र प्रसाद महतो
2. अशोक महतो उर्फ अशोक कुमार महतो
3. बासुदेव महतो उर्फ बासुदेव प्रसाद
4. किशनी देवी

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. निर्मल महतो
2. शांति
3. बिजय प्रसाद महतो
4. अर्जुन प्रसाद महतो
5. महेंद्र कुमार महतो
6. अंजू देवी ...उत्तरदाता/वादी
7. गणेश प्रसाद महतो
8. जगदीश प्रसाद महतो
9. किशुनी देवी
10. जागेश्वर महतो
11. नागेश्वर महतो
12. सुकर महतो
13. सहदेव महतो
14. महादेव महतो
15. गुड़िया कुमारी
16. शकुंतला देवी
17. रेश्मी देवी
18. कुसुम देवी उर्फ सुमन देवी
19. प्रदीप कुमार बनर्जी
20. श्यामल कुमार बनर्जी

....प्रोफार्मा उत्तरदाता/प्रतिवादी

कोरम: माननिय न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अवनीश शंकर, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : .....

<u>03</u> दिनांक <u>12.01.2024</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रस्तुत याचिका आदेश दिनांक 29.11.2013 और 18.04.2023 के खिलाफ है, जो अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)-VIII, हजारीबाग द्वारा शीर्षक "भूमि की नीलामी बिक्री का प्रमाण पत्र" मुकदमा संख्या 28/2008 में पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत याचिका दिनांक 17.11.2022 को दायर की गई थी जिसमें

दिनांक 12.08.2009 की सूची में क्रमांक 5 में शामिल एक दस्तावेज को चिह्नित करने का अनुरोध किया गया था।

2. उक्त याचिका को विवादित आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसके खिलाफ वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि दिनांक 12.08.2009 की सूची में क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज, जो कि मामले संख्या 508/1918-19 का नीलामी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति है, को साक्ष्य के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, उक्त दस्तावेज़ का उक्त मुकदमे के निर्णय में महत्वपूर्ण प्रभाव है और इसलिए, इस दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में चिह्नित करने का अनुरोध किया गया है।

4. वादी ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.11.2013 द्वारा पारित आदेश को रखते हुए गंभीर रूप से आपत्ति जताई है, जिसके अंतर्गत दिनांक 12.08.2009 की सूची में क्रमांक 5 और 6 में शामिल दस्तावेज़ को प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उक्त याचिका दिनांकित 10.09.2012 याचिका के माध्यम से दायर की गई है।

5. उक्त याचिका को क्रमांक 6 में शामिल दस्तावेज़ को प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने के लिए आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया, जबकि क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज़ को उपरोक्त आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता, जो कि मुकदमे का प्रतिवादी है, ने उक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी और परिणामस्वरूप, उक्त प्रार्थना की गई है। इसलिए, दिनांक 17.11.2022 की याचिका में की गई प्रार्थना को उचित नहीं कहा जा सकता और इसे स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

6. विद्वत विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी निवेदन की सराहना करते हुए दिनांकित 17.11.2022 याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके खिलाफ वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है।

7. श्री अवनीश शंकर, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता, जो मुकदमे का प्रतिवादी था, यह मानता था कि जब याचिका दिनांक 12.08.2009 को आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया, जिसमें दस्तावेज़ संख्या 6 को प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी गई थी, तो उसे यह समझ में आया कि क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज़ को भी चिह्नित करने की अनुमति दी गई है। इसलिए, उक्त आदेश को चुनौती देने का विचार नहीं आया। इस प्रकार, यह एक सच्ची भूल है और इसी कारण से याचिका दायर की गई है। लेकिन न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य की सराहना किए बिना उक्त याचिका को अस्वीकृत कर दिया है। इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

8. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता की सुना है और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है, साथ ही विवादित आदेश पर भी विचार किया है।

9. यहां स्वीकृत तथ्य है कि न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के अनुसार, साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों के अनुसार, दिनांक 12.08.2009 की सूची में क्रमांक 5 और 6 में शामिल दो दस्तावेज़ों को 10.09.2012 को याचिका दायर करके प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने का प्रयास किया गया था।

10. उक्त याचिका को आदेश दिनांक 29.11.2013 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा, दिनांक 12.08.2009 की सूची में क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज़ को अनुमति दी गई, लेकिन क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज़ को चिह्नित करने की अनुमति नहीं दी गई।

11. यह एक और स्वीकृत तथ्य है कि आदेश दिनांक 29.11.2013 को याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी गई, लेकिन फिर से 17.11.2022 को एक याचिका दायर की गई जिसमें दिनांक 12.08.2009 की सूची में क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज़ को चिह्नित करने की प्रार्थना की गई।

12. न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया है कि क्रमांक 5 में शामिल दस्तावेज़ को प्रदर्शित के रूप में चिह्नित करने की अनुमति आदेश दिनांक 29.11.2013 द्वारा अस्वीकृत की गई थी और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इसलिए, वही प्रार्थना, जिसे पहले ही निपटाया जा चुका है, को अनुमति नहीं दी जा सकती और इस प्रकार, उक्त याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया।

13. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों के तहत दायर की गई है और यह कानून की स्थापित स्थिति है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की सीमित क्षेत्राधिकार है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र शंकर पाटी के मामले में निर्णय दिया है, जो **(2010) 8** एससीसी **329** में रिपोर्ट किया गया है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 के दायरे को निर्धारित किया है, जो उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी शक्तियों से संबंधित है। इसके साथ ही, कोलकाता उच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड बनाम सुकुमार मुखर्जी के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया गया है, जो एआइआर **1951** कोलकाता **193** में रिपोर्ट किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को असीमित शक्ति नहीं देता है, जिसे विशेष निर्णयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अदालत की विवेकाधीनता पर लागू किया जा सके। पर्यवेक्षण की शक्ति एक ज्ञात और अच्छी तरह से पहचानी गई विशेषता की शक्ति प्रदान करती है और इसे उन न्यायिक सिद्धांतों पर लागू किया जाना चाहिए जो इसे उसकी विशेषता प्रदान करते हैं। सामान्य शब्दों में, उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अधीनस्थ अदालतों को अधिकार की सीमाओं के भीतर रखने, यह देखने के लिए कि वे अपनी ड्यूटी का पालन करें और इसे कानूनी तरीके से करें।

i. पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निम्नलिखित में से कोई न हो:
(a) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित नहीं होने वाली क्षेत्राधिकार का अनुचित अनुमान; या
(b) क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरुपयोग; या
(c) न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में निहित क्षेत्राधिकार का अन्यायपूर्ण अस्वीकार।

ii. आगे, उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मणि नारिमन दारूवाला बनाम फिरोज एन. भटेन के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया है, जो **(1991) 3** एससीसी **141** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय केवल उस स्थिति में निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को रद्द या पलट सकता है जब कोई साक्ष्य न हो या जहां कोई उचित व्यक्ति संभवतः उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता जो न्यायालय या न्यायाधिकरण ने निकाला है।

iii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस सीमित सीमा के अलावा उच्च न्यायालय के पास तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

iv. आगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लक्स्मीकांत रेवचंद भोजवानी बनाम प्रतापसिंह

मोहनसिंह परदेशी के मामले में दिए गए निर्णय में, जो (1995) 6 एससीसी 576 में रिपोर्ट किया गया है, यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय सभी प्रकार की कठिनाइयों या गलत निर्णयों को सुधारने के लिए असीमित विशेषाधिकार नहीं ले सकता। इसका प्रयोग गंभीर कर्तव्य की लापरवाही और कानून और न्याय के मौलिक सिद्धांतों के स्पष्ट दुरुपयोग तक सीमित होना चाहिए।

v. उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 47 में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार न तो मूल है और न ही अपील योग्य है । अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण का यह क्षेत्राधिकार प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के पर्यवेक्षण के लिए है। इसलिए, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ अलग और विशिष्ट हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इन दोनों क्षेत्राधिकारों के बीच एक और भेद यह है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सामान्यतः किसी आदेश या कार्यवाही को रद्द या निरस्त करता है, लेकिन अनुच्छेद 227 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय, कार्यवाही को रद्द करने के अलावा, विवादित आदेश को उस आदेश से भी प्रतिस्थापित कर सकता है जो निम्न न्यायाधिकरण को बनाना चाहिए था।

vi. आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में यह निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय, अपनी पर्यवेक्षण की क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, केवल उन न्यायाधिकरणों और अदालतों को अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर रखने के लिए आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे न्यायाधिकरण और अदालतें अपने पास निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें और इसे नकारें नहीं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और अदालतों के आदेशों में स्पष्ट विकृति हो या जहां न्याय का गंभीर और स्पष्ट विफलता हो या प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो।

vii. अपनी पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय केवल कानून या तथ्य की साधारण गलतियों को सुधारने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता या केवल इस कारण कि उसके अधीनस्थ न्यायाधिकरणों या अदालतों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है। दूसरे शब्दों में, क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत ही विवेकपूर्वक किया जाना चाहिए।

14. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त संदर्भित निर्णय से यह सिद्ध होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायालय केवल रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गलती को देखता है या यदि आदेश बिना किसी क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है।

15. यह न्यायालय उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए और विवादित आदेश पर वापस आते हुए, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं को पाया है और यह स्वीकार करते हुए कि याचिका दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से जो प्रार्थना की गई थी, उसे पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है, जो कि 10 वर्षों की अवधि के बीतने के बाद चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार यह अंतिमता प्राप्त कर चुकी है। इसलिए, उपरोक्त आधार पर, याचिका दिनांक 17.11.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसे इस न्यायालय की विचाराधीन दृष्टि के अनुसार रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गलती से ग्रसित नहीं कहा जा सकता।

16. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका असफल होती है और इसे अस्वीकृत किया जाता है।

(श्री सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश)

रोहित/एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|